

7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर-118/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० हर्षवर्धन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, एस०एन०सी०यू०, सदर अस्पताल, सुपौल का दिनांक-11.07.2021 से 08.10.2021 तक की उपभोगित अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर-118/2026- 16.29(2) पटना, दिनांक 18/7/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सुपौल/अधीक्षक, सदर अस्पताल, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/डा० हर्षवर्धन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, एस०एन०सी०यू०, सदर अस्पताल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wdmark 17/7/26
सरकार के उप सचिव।
E